



(93)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला-गुना

P 1260-PB2

- 1- जमनावाई पुत्री वल्देवसिंह पत्नि देवेन्द्रसिंह निवासी ककवासा तह0 राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)
- 2- गुडडीवाई पुत्री वल्देवसिंह निवासी ग्राम खेजड़ा गुरुजी द्वारा मामा सुन्दरलाल पुत्र दिमानसिंह निवासी ग्राम खेजड़ा गुरुजी तह0 राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)

श्री वल्देवसिंह ठाकुर
द्वारा आज दि. 26/4/17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफिस कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- अवतारसिंह पुत्र मानसिंह
- 2- जयनारायण पुत्र मानसिंह
निवासीगण - पुरेनी हाल मुकाम रामनगर रोड,
राघौगढ़ जिला गुना (म.प्र.)
- 3- देवेन्द्र पुत्र हजरतसिंह
- 4- जगदीश पुत्र हरनामसिंह
- 5- श्यामबावू पुत्र हरनामसिंह
- 6- शिवराज पुत्र हरनामसिंह
समस्त निवासीगण - ग्राम पुरेनी तह0 राघौगढ़
जिला गुना (म.प्र.)
- 7- गुडडीवाई पुत्री हरनामसिंह पत्नि बृजमोहन
निवासी ग्राम पुरेनी तह0 राघौगढ़ जिला गुना
(म.प्र.)
- 8- बृजेशवाई पुत्री हरनामसिंह पत्नि ज्ञानसिंह
निवासी ग्राम ककवासा तहसील राघौगढ़ जिला
गुना (म.प्र.)
- 9- विरमावाई पुत्री हरनामसिंह पत्नि शिवनंदन
निवासी चांदोली तहसील व जिला गुना (म.प्र.)
- 10- शिमलावाई वेवा पत्नि हरनामसिंह
- 11- लक्ष्मीवाई पत्नि भानूप्रतापसिंह
- 12- प्रतापसिंह पुत्र श्री वल्देवसिंह

Dehatundi
26/4/17

(Signature)

निवासीगण- ग्राम पुरेनी तह0 राधोगढ़ जिला
गुना (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला गुना द्वारा प्रकरण क्रमांक 16/2015-16
निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31.03.2017 के विरुद्ध मध्यप्रदेश
भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1260-पीबीआर/17

जिला गुना

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | फसकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|---|
| 14-9-2017 | <p>उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक के निवेदन यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक 6-9-2016 के विरुद्ध दायर मान्य की जाती है। धारा 32 के आवेदक द्वारा दिनांक 8-7-2016 को सिविल में स्वत्व का प्रकरण दायर करने हेतु तीन माह कार्यवाही स्थगन मांगा था । अब एक वर्ष निकल चुका है । आवेदक अधिवक्ता ने तर्कों में स्वीकार किया कि वह सिविल में प्रकरण दायर कर चुके हैं । ऐसी स्थिति में अब तहसीलदार के इस बिन्दु पर पारित आदेश दिनांक 6-9-2016 के विरुद्ध दायर यह निगरानी निरर्थक होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> | <p> अध्यक्ष</p> |